वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2015–2016)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016
फोन–0755–2430154, 2463585, फैक्स– 4292110
वेबसाईट : www.mperc.nic.in
ई–मेल : secretary@mperc.nic.in

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	आयोग की संरचना	03
2.	कार्यकारी संक्षेपिका	03–06
3.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में जारी खुदरा प्रदाय एवं गैर परम्परागत स्त्रोत से प्राप्त विद्युत हेतु टैरिफ आदेशों के मुख्य बिन्दु	07–08
4.	वित्तीय वर्ष 2015–16 की अवधि में जारी विनियम तथा विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन	09–10
5.	विद्युत उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ	11
6.	परिशिष्ट–1	12
7.	परिशिष्ट–2	13
8.	परिशिष्ट–3 (अ, ब, स)	14–16
9.	परिशिष्ट–4	17

अध्याय – 1
आयोग की संरचना

डॉ. देव राज बिरदी आयोग के अध्यक्ष पद पर दिनांक 7.2.2015 से कार्यरत हैं इसी प्रकार आयोग के दो सदस्य क्रमशः श्री ए.बी. बाजपेयी दिनांक 11.12.2012 से तथा श्री आलोक गुप्ता दिनांक 2.1.2013 से कार्यरत है । आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है ।

अध्याय – 2
कार्यकारी संक्षेपिका

1.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ,(मप्रविनिआ) का गठन विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत किया गया था । तत्पश्चात् राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 में विद्युत सुधार अधिनियम पारित किया गया । इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक व्यापक विधान है ।

1.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अनुसाार, आयोग से प्रति वर्ष एक बार विगत वर्ष की गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण को दर्शाते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा की गई है जिसके अनुसाार प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां राज्य शासन को प्रेषित की जाती है तथा प्राप्त होने पर इन्हें राज्य सरकार यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करती है ।

1.3 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तद्नुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इसे राज्य शासन को प्रेषित किया जाता रहा है । यह प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 से संबंधित है ।

वित्तीय वर्ष 2015–16 की गतिविधियों का सारांश

1.4 वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने निम्न टैरिफ आदेश जारी किये हैं :

(क) विद्युत उत्पादन टैरिफ के संबंध में जारी आदेश

सं.क	याचिका क्रमांक	टैरिफ आदेशों का विवरण	जारी करने की तिथि
1	पी–19/2014	मे. एम.बी पावर (मध्य प्रदेश) लि. द्वारा दायर याचिका क्र. 19 / 2014 के अन्तर्गत, ताप विद्युत केन्द्र की इकाई क्रमांक एक एवं दो हेतु वाणिज्यक उत्पादन दिनांक से 31 मार्च 2016 तक अनन्तिम टैरिफ आदेश ।	06.05.2015
2.	पी–05/2015	मे. जय प्रकाश पावर वेंचर लि. द्वारा दायर पुनरीक्षित याचिका क्रमांक 05 वर्ष 2015 के अन्तर्गत आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 40 वर्ष 2012 के आदेश दिनांक 26 नवम्बर 2014 में स्वीकृत टैरिफ आदेश का पुनरीक्षण आदेश	08.05.2015

सं.क	याचिका क्रमांक	टैरिफ आदेशों का विवरण	जारी करने की तिथि
3	पी–16/2014	मे. बी.एल.ए. पावर लि. द्वारा दायर याचिका क 16/2014 के अन्तर्गत, ताप विद्युत गृह इकाई क्रमांक एक हेतु वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 हेतु विद्युत उत्पादन पर अंतिम टैरिफ आदेश ।	22.05.2015
4.	पी–23/2015	मे. एम.पी. पावर जनरेटिंग कं. लि. द्वारा दायर याचिका क्रमांक 23/2015 के अन्तर्गत सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र (ईकाई क. 6,7,8,9) हेतु वर्ष 2011–12 से 2015 –16 तक हेतु विशेष अलाउन्स हेतु आदेश ।	23.07.2015
5	पी–31/2015	मे. एम बी पावर लि. द्वारा दायर याचिका क 31/2015 के अन्तर्गत ताप विद्युत केन्द्र अनूपपुर चरण एक 2 X 600 मे. वा हेतु यूनिट क्र 1 की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से विद्युत उत्पादन पर अनन्तिम आदेश।	29.07.2015
6.	पी–37/2015	मे. जय प्रकाश पावर वेंचर लि. द्वारा दायर याचिका क्र. 37 वर्ष 2015 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन 120/2012 के आदेश दिनांक 24.9.2014 के तारतम्य में ईधन प्रदाय कंपनी द्वारा वसूली जा रही अतिरिक्त राशि (1320 मे.वा. पावर प्लांट निगरी हेतु) हेतु टैरिफ निर्धारण आदेश ।	12.08.2015
7	पी–29/2014	एम.पी. पावर जनरेटिंग कं. लि. जबलपुर द्वारा याचिका क्र. 29/2014 के अन्तर्गत आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत उत्पादन टैरिफ का सत्यापन आदेश।	05.10.2015
8	पी–24/2015	एम.पी. पावर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर द्वारा दायर याचिका क्र. 24/2015 के अन्तर्गत जल विद्युत गृह वाणसागर 4 झिन्ना (2 X 10 मे. वा) हेतु 30.8.2006 से 31.3.014 की अवधि हेतु विद्युत उत्पादन पर अन्तिम टैरिफ आदेश।	18.11.2015
9	पी–13/2015	एम.पी. पावर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर द्वारा दायर याचिका क्र. 13 /2015 के अन्तर्गत 2 X 250 मे. वा सतपुड़ा ताप विद्युत गृह इकाई 10 एवं 11 हेतु विद्युत उत्पादन पर अन्तिम टैरिफ आदेश।	07.01.2016
10	पी–53/2015	मे. झाबुआ पावर लि. कोलकता द्वारा दायर याचिका क्रमांक 53/2015 के अन्तर्गत ताप विद्युत केन्द्र (1 X 600 मे. वा) वरेला गोरखपुर जिला सिवनी हेतु वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 31.3.2016 तक विद्युत उत्पादन पर अनन्तिम टैरिफ आदेश।	20.01.2016

सं.क्र	याचिका क्रमांक	टैरिफ आदेशों का विवरण	जारी करने की तिथि
11	एस.एम.पी. 49/2015	आयोग द्वारा. स्व–प्रेरणा याचिका के अंतर्गत मे. जय प्रकाश पावर वेंचर लि. के (2 X 660) मेगा वाट ताप विद्युत केन्द्र निगरी हेतु स्वीकृत ईधन प्रभार का पुनरीक्षण एवं गणना संबंधी टैरिफ आदेश ।	28.01.2016
12	पी–16/2015	एम.पी. पावर जनरेटिंग कं. लि. जवलपुर द्वारा याचिका क्र. 16/2015 के अन्तर्गत आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विद्युत उत्पादन टैरिफ का सत्यापन आदेश।	30.01.2016

(ख) ट्रांसमिशन टैरिफ के संबंध में जारी आदेश

सं.क्र	याचिका क्रमांक	टैरिफ आदेशों का विवरण	जारी करने की तिथि
01	पी–24/2014	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कं. लि. द्वारा दायर याचिका क्रमांक 24/2014 के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु पारेषण टैरिफ का सत्यापन आदेश।	28.04.2015
02	पी–26/2015	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कं.लि. द्वारा दायर याचिका क्रमांक 26/2015 के अन्तर्गत पेंशन हेतु वास्तविक खर्चो के लिये स्वीकृति बाबत् आदेश ।	12.08.2015

(ग) खुदरा प्रदाय विद्युत टैरिफ तथा सत्यापन आदेश

क्रमांक	याचिका क्रमांक	खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1	30 / 2014	याचिका क्रमांक 30 / 2014 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश	17.04.2015
		सत्यापन आदेशों के विवरण	
2	25 / 2014, 03 / 2015 एवं 17 / 2014	याचिका क्रमांक 25 / 2014,(म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर), 03 / 2015 (म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर) तथा 17 / 2014 (म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल)के अंतर्गत खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु सत्यापन आदेश	17.03.2016

अध्याय – 3

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जारी खुदरा प्रदाय एवं गैर परम्परागत स्त्रोत से प्राप्त विद्युत हेतु टैरिफ आदेशों के मुख्य बिन्दु

दिनांक 17 अप्रैल को जारी खुदरा प्रदाय विद्युत निर्धारण टैरिफ आदेश :

1. विद्युत दर निर्धारण आदेश 25 अप्रैल , 2015 से प्रभावी ।
2. आयोग द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणीयों की विद्युत दरों में परिवर्तन किया गया ।
3. विद्युत वितरण कम्पनीयों द्वारा रूपये 28858 करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता प्रस्तावित की गई थी। जिसके विरूद्ध आयोग द्वारा रूपये 26555 करोड़ की आवश्यकता को ही ग्राहय किया गया है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11 तथा 2011–12 के खुदरा टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2012–13 के पारेषण टैरिफ आदेश एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 के जनरेशन टैरिफ आदेश के सत्यापन का वित्तीय प्रभाव सम्मलित है।
4. तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को विनियम में दिये गये निम्न प्रावधानों के अनुरूप ही वितरण हानियों के स्तर को ग्राह्य किया गया ।

कम्पनी	वर्ष 2015–16 के लिए ग्राह्य वितरण हानियों का स्तर
पूर्व	**18%**
पश्चिम	**16%**
मध्य	**19%**

5. एकल बिन्दु संयोजन तथा 0–50 यूनिट प्रतिमाह खपत वाले उपभोक्ताओं की दर में कोई परिवर्तन नही किया गया ।
6. 51–100 यूनिट प्रतिमाह खपत वाले उपभोक्ताओं की दर में केवल 5% वृद्धि की गई है।
7. समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए दरों में लगभग 9.83% की वृद्धि की गई है।
8. कृषि उपभोक्ताओं (श्रेणी एल.व्ही. 5.1) के द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि में कोई परिवर्तन नही किया गया ।

आयोग के वित्तीय वर्ष 2015–16 के विद्युत दर निर्धारण में दर सरंचना में कुछ परिवर्तन किये गए। ऐसा आयोग को प्राप्त सुझाावों / आपत्तियों के आधार पर किया गया । महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैः–

(i) घरेलू टैरिफ एल.व्ही. (LV 1.1) की टैरिफ सरंचना का सरलीकरण

घरेलू टैरिफ श्रेणी की टैरिफ संरचना के सरलीकरण एवं स्लैब की संख्या में कमी करने हेतु आयोग के समक्ष आपत्तिकर्ताओं ने मांग की थी जिससे आयोग भी सहमत था। परन्तु इस कें निहित कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए आयोग ने 500 युनिट प्रतिमाह से अधिक खपत वाली स्लैब हटा दी है। अब उपभोक्ता श्रेणी LV –1.2 में विद्यमान 5 स्लैब के स्थान पर केवल 4 स्लैब में ही खपत की बिलिंग की जाएगी।

(ii) प्रीपेड टैरिफ सम्बन्धित प्रावधान

आयोग द्वारा घरेलू उपभोक्ता श्रेणी (एल.व्ही. LV-1) तथा गैर घरेलू उपभोक्ता श्रेणी (ए.व्ही.2) के लिये प्रीपेड टैरिफ सम्बन्धित प्रावधान किया गया। .

(iii) गैर मौसमी निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ता (LV 4.1) की टैरिफ संरचना मे परिवर्तन

विभिन्न उपभोक्ताओं से प्राप्त सुझाव के आधार पर आयोग द्वारा LV 4.1 के अर्न्तगत मौजूदा उप श्रेणियों को समाप्त कर मांग आधारित एकल टैरिफ (संविदा माँग 150 H.P तक) का प्रावधान किया है। विद्यमान तीनों श्रणियों को समाहित कर एक श्रेंणी बनाई गई । तथापि 25 H.P .तक भार वाले उपभोक्ताओं के विद्युत दरों को कम रखा गया ।

(iv) टाइम ऑफ डे टैरिफ अधिभार में परिवर्तन

प्रदेश में मांग से अधिक विद्युत उपलब्धता की स्थिति को संज्ञान में लेते हुए आयोग द्वारा पीक लोड अधिभार 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है तथापि ऑफ पीक लोड छूट को 15 प्रतिशत की स्थिति में यथावत रखा गया ।

अध्याय – 4

वित्तीय वर्ष 2015–16 की अवधि में जारी विनियम तथा विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन

मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट किया गया है कि आयोग, अधिसूचना जारी कर, इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार अधिनियमों के उपबंधों के परिपालन हेतु सुसंगत विनियम बना सकेगा। तदनुसार, आयोग द्वारा समय–समय पर विनियम जारी किये गये हैं । वर्ष 2015–16 के दौरान जारी विनियमों तथा विनियमों के संशोधनों तथा परिवर्धनों की सूची **परिशिष्ट – 2** में संलग्न है ।

क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2015–16 की अवधि में जारी विनियम के विवरण	जारी करने की तिथि
3	''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम,2015 {आरजी–35(II) वर्ष 2015}''	17.12.2015

(घ) गैर परम्परागत स्त्रोत से प्राप्त विद्युत हेतु टैरिफ आदेश

क्रमांक	टैरिफ आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1	पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति	17.03.2016

1.5 वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 79 याचिकाऐं, जिनमें 07 स्व–प्रेरणा याचिका सम्मिलित हैं, पंजीकृत की गई । पूर्व वर्ष की 22 याचिकाएं भी अवशेष थीं । इस प्रकार, कुल 101 याचिकाओं में से 71 याचिकाओं का निराकरण किया गया जबकि अवशेष 30 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2016–17 में जारी रहेगी ।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों हेतु जारी टैरिफ आदेश :

(1) **गैर परम्परागत स्त्रोत, पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति :** आयोग द्वारा दिनांक 17.03.2016 को पारित आदेश के अन्तर्गत पवन ऊर्जा पर आधारित नवीन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु दिनांक 01.04.2016 व इसके बाद क्रियाशील होने वाली परियोजनाओं के लिए इनके 25 वर्ष के परियोजना जीवनकाल हेतु संतुलित विद्युत–दर (levelized tariff) रूपये 4.78 प्रति यूनिट निर्धारित की गई ।

वित्तीय वर्ष 2015–16 की अवधि में जारी विनियम तथा विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन

मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट किया गया है कि आयोग, अधिसूचना जारी कर, इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार अधिनियमों के उपबंधों के परिपालन हेतु सुसंगत विनियम बना सकेगा। तदनुसार, आयोग द्वारा समय–समय पर विनियम जारी किये गये हैं । वर्ष 2015–16 के दौरान जारी विनियमों तथा विनियमों के संशोधनों तथा परिवर्धनों की सूची **परिशिष्ट – 2** में संलग्न है ।

अध्याय – 5

(1) विद्युत उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ :– विद्युत सुधारों के उद्धदेश्यों में से एक उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाना है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण को गति प्रदान किये जाने की सुविधा हेतु आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। विद्युत **उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ** की स्थापना दिनांक 15 मई, 2008 को आयोग कार्यालय के अंतर्गत आयोग के सलाहकार के पर्यवेक्षण में की गई। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान **उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ** में प्राप्त प्रकरणों के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :

(क)	दिनांक 31.3.2015 की स्थिति में लंबित शिकायतों की संख्या	24
(ख)	वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	230
(ग)	वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल शिकायतों की संख्या	254
(घ)	वित्तीय वर्ष के दौरान शिकायतों के निपटारे की संख्या	212
(ड)	दिनांक 31.3.2016 की स्थिति में लंबित शिकायतों की संख्या	42

(2) केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्रों की स्थापना :– आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर में केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्रों (काल सेंटर्स) की स्थापना की गई है। ये शिकायत निवारण केन्द्र चौबीस घंटे कार्यरत् हैं तथा उपभोक्ताओं हेतु निरंतर सुविधाऐं प्रदान कर रहे हैं जिसमें इन शहरों से वैबसाईट के माध्यम से शिकायतों का ऑनलाईन पंजीकरण किया जाना भी सम्मिलित है।

(3) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम :– राज्य में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों की स्थापना माह अक्टूबर/नवंबर, 2004 में की गई थी। वर्तमान में राज्य में तीन विद्युत वितरण कंपनियां कार्यरत् हैं तथा प्रत्येक वितरण कंपनी ने एक–एक फोरम की स्थापना की है। इन फोरमों के मुख्यालय इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर में स्थित हैं। इन फोरमों द्वारा, शिकायतों के निपटान हेतु परिवेदित उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न अन्य स्थानों पर भी सुनवाईयां आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2015–16 की अवधि में फोरमों द्वारा शिकायतों के निवारण संबंधी विवरण **परिशिष्ट–3(अ), 3(ब) तथा 3(स)** में दर्शाये गये हैं।

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के विवरण
(वर्ष 2015–16 की स्थिति में)

सरल क्रमांक	नाम	पदनाम	कार्य ग्रहण तिथि	कार्यकाल
1.	डॉ. देवराज बिरदी	अध्यक्ष	07.2.2015	13.01.2020
2.	श्री ए.बी. बाजपेयी	सदस्य	11.12.2012	10.12.2017
3	श्री आलोक गुप्ता	सदस्य	2.01.2013	01.01.2018

दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक अधिसूचित किये गये विनियमों की सूची

स.क्रं.	विनियम का नाम	अधिसूचना क्रमांक	जारी करने की दिनांक	अधिसूचना दिनांक	विनियम क्रमांक
01.	मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत् का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 में चतुर्थ संशोधन.	813	08.05.2015	15.05.2015	[एआरजी–33(I)(iv), वर्ष 2015]
02.	मध्यप्रदेश विद्युत संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015	1709	18.09.2015	25.09.2015	(आर.जी–34 (एक), सन् 2015)
03.	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत् का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 में पंचम संशोधन.	1737	28.09.2015	02.10.2015	[एआरजी–33(I)(v), वर्ष 2015]
04.	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम, 2015	1854	14.10.2015	23.10.2015	(जी–39, वर्ष 2015)
05.	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में प्रथम संशोधन.	1875	15.10.2015	23.10.2015	[एआरजी–1(I)(i) वर्ष 2015]
06	मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम 2015	2256	17.12.2015	18.12.2015	{आरजी–35(II) वर्ष 2015}
07.	मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015	2267	21.12.2015	01.01.2016	{आरजी–26 (III), वर्ष 2015},
08.	''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण तृतीय) विनियम, 2016	58	13.01.2016	15.01.2016	{आरजी–28(III), सन् 2016}

वर्ष 2015–16 हेतु मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.2016 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	ग्वालियर	06	58	51	13
2	दतिया	00	00	00	00
3	मुरैना	02	02	04	00
4	भिण्ड	01	05	04	02
5	गुना	00	02	02	00
6	अशोकनगर	00	02	02	00
7	शिवपुरी	01	04	04	01
8	श्योपुर	00	02	02	00
9	भोपाल	07	21	21	07
10	विदिशा	01	10	07	04
11	होशंगाबाद	01	08	05	04
12	बैतूल	00	00	00	00
13	राजगढ़	00	00	00	00
14	सीहोर	00	04	02	02
15	रायसेन	00	01	01	00
16	हरदा	00	00	00	00
	कुल योग	19	119	105	33

परिशिष्ट–3 (ब)

वर्ष 2015–16 हेतु मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इन्दौर के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.16 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	इन्दौर	02	122	112	12
2	धार	01	14	14	01
3	खरगौन	02	09	08	03
4	बड़वानी	01	08	06	03
5	खण्डवा	01	10	10	01
6	बुरहानपुर	09	36	41	04
7	झाबुआ	01	28	28	01
8	अलिराजपुर	00	16	16	00
9	उज्जैन	08	42	42	08
10	रतलाम	01	28	26	03
11	मंदसौर	00	00	00	00
12	नीमच	02	08	09	01
13	देवास	10	20	25	05
14	शाजापुर	01	13	13	01
15	आगर	01	07	06	02
	कुल योग	40	361	356	45

वर्ष 2015–16 हेतु मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.16 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	जबलपुर	09	368	377	00
2	कटनी	23	127	150	00
3	मंडला	01	27	28	00
4	डिंडोरी	00	21	21	00
5	नरसिंहपुर	02	135	137	00
6	सिवनी	00	24	24	00
7	बालाघाट	00	36	36	00
8	छिंदवाडा	00	90	90	00
9	रीवा	02	283	285	00
10	सतना	05	176	181	00
11	सीधी	00	36	36	00
12	शहडोल	00	95	95	00
13	उमरिया	00	08	08	00
14	अनूपपुर	00	24	24	00
15	सिंगरौली	00	18	18	00
16	सागर	01	228	229	00
17	दमोह	02	17	19	00
18	छतरपुर	00	40	40	00
19	पन्ना	01	100	101	00
20	टीकमगढ़	00	160	160	00
	कुल योग	46	2013	2059	निरंक

शिकायत की प्रकृति	अवधि के प्रारंभ में लंबित	अवधि के दौरान प्राप्त की गई	अवधि के दौरान निराकृत	कुल लंबित (संख्या)
विद्युत प्रदाय में अवरोध संबंधी	00	00	00	00
वोल्टेज संबंधी शिकायतें	00	00	00	00
भार कम करने / अनुसूचित अवरोध (लोड शेडिंग / शेड्यूल्ड आऊटेज) संबंधी	00	00	00	00
मीटर संबंधी शिकायतें	05	01	06	00
विद्युत देयक संबंधी शिकायतें	07	29	28	08
विद्युत प्रदाय का असंयोजन तथा पूर्व संयोजन संबंधी	01	00	01	00
नवीन संयोजन में विलंब संबंधी	00	01	00	01
अन्य शिकायतें, जैसे कि क्षति, मांग / भार में कमी / वृद्धि की जाना अथवा प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना, आदि	03	07	08	02
योग	16	38	43	11